

**रोहतक जिले के ग्रामीण निवासियों के सामाजिक जीवन और आहार संबंधी व्यवहार का
एक विश्लेषणात्मक अध्ययन**

रवि

शोधार्थी, भूगोल, सामाजिक विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर-124021,
रोहतक (हरियाणा)

प्रो. (डॉ.) राजेश मलिक

शोध-निर्देशक, सामाजिक विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर-124021, रोहतक
(हरियाणा)

परिचय

किसी भी निश्चित भू-भाग में रहने वाले वे मानव समुदाय जिनमें पारस्परिक सहयोग व सदभाव रहता हो और वे मिलकर विकास के रास्ते पर चलते हो, समाज कहलाता है। व्यक्ति का अस्तित्व समाज से है और व्यक्ति समाज की एक मूल इकाई है व्यक्ति व समाज का पारस्परिक आपसी संबंध है। मनुष्य के कार्य समाज की सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं इसीलिए व्यक्ति के सुखी जीवन के लिए समाज में कुछ नियम बनाए गए हैं मनुष्य को उनका पालन करना ही पड़ता है तो भी मनुष्य के कार्य दीर्घकालिक या तात्कालिक आधार पर परिवर्तन का कारण बनते हैं। समाज के लोगों के साथ रहने से ही सामाजिक आकारिकी की स्थिति बनती है। गाँवों की सामाजिक आकारिकी से अभिप्राय गाँव के अलग-अलग भागों में सामाजिक वर्गों के रहने या बसाव से है कुछ तरह के विशिष्ट गाँव एक ही सामाजिक वर्ग या एक ही जाति के लोगों द्वारा ही बसे हुए हो सकते हैं। परंतु अत्यधिक गाँवों में एक से अधिक सामाजिक वर्ग या जाति के लोग रहते हैं। इसमें कुछ प्रमुख जातियों के ज्यादा आवास हो सकते हैं तथा कुछ जातियों के कम आवास हो सकते हैं। भारत के गाँवों आज भी भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप या स्थिति को देखा जा सकता है यहाँ सामाजिक परंपराएँ, प्रथाएँ तथा श्रम विभाजन आज भी कुछ साधारण परिवर्तनों तथा संसाधनों के साथ विद्यमान हैं। ग्रामीण भारत मुख्यतः चार सामाजिक वर्गों – भूस्वामी या कृषक, शिल्पकार, सेवी जातियाँ और भूमिहीन खेती मजदूर में बँटा हुआ है। आजादी के बाद शिक्षा के प्रसार, नगरों के विकास तथा अन्य विकासात्मक कारकों के प्रभाव से यद्यपि व्यवसायों पर जातीय नियंत्रण में कमी एवं शिथिलता दिखाई देती है। किंतु अलग-अलग जातियों के द्वारा आज भी परंपरागत व्यवसाय अपनाये जाते हैं। और ये व्यवसाय भी देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग जातियों द्वारा किए जाते हैं इनमें उत्तर व दक्षिण भारत में भी अंतर दिखाई पड़ता है। कुछ राज्यों में शिक्षा के प्रसार के कारण इनमें कमी अवश्य देखी गई है।

मुख्य शब्द— समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक आकारिकी, गाँव, सामाजिक वर्ग, जाति, कृषक, शिल्पकार, ग्रामीण भारत।

भारत की ग्रामीण संरचना पर ऐतिहासिक परिवर्तनों व राजनीतिक एवं सामाजिक उतार-चढ़ाव का महत्वपूर्ण परिणाम या प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटिशकाल में जमींदारी प्रथा तथा समाज में ऊँच-नीच और छुआछुत की भावना को गाँवों की सामाजिक आकारिकी के रूप में पूरे भारत के अलग-अलग हिस्सों में आसानी से देखा जा सकता है। सामान्य रूप से गाँव के बीचों-बीच जमींदार या संपन्न उच्च जाति या स्वर्ण वर्ग के लोगों के घर होते हैं। इन घरों के चारों ओर सामान्य कृषक जातियों, शिल्पकार तथा सेवी जाति के लोगो के घर पाए जाते हैं। अस्पृश्य जातियों या छोटी जाति के निवास घर सामान्यतः गाँव के दक्षिणी भाग में स्थित होते हैं। जो ग्राम से कुछ दूरी पर पृथक पुरवा या हेमलेट के रूप में संगठित

होते हैं। भारत के ऊतरी भाग के मैदानों में दक्षिण दिशा की तरफ से हवा बहुत कम चलती है। अतः दक्षिण से गंदी व दुर्गन्धित हवा मुख्य गाँव में बहुत कम पहुँच पाती है। सभवतः अस्पृश्य जातियों के गावों को दक्षिण दिशा में बसाये जाने के पीछे यही उद्देश्य रहा है क्षेत्रीय संगठन के अनुसार भारत के गाँवों की सामाजिक आकारिकी के निम्नलिखित तीन रूप प्रकट होते हैं:—

जातीय भिन्नता वाले पुरवा ग्राम : इस प्रकार की सामाजिक आकारिकी भारत देश के अलग-अलग अनेक भागों में पायी जाती है। भारत में बहुत से ऐसे गाँव हैं जो अनेक प्रकार के पुरवों को मिलाकर बने होते हैं और एक पुरवे में एक विशिष्ट जाति या वंश के परिवारों का आधिपत्य होता है। जाति, वंश, कुल व संप्रदाय आदि की प्रमुखता के आधार पर ही इन पुरवा व टोलों का नाम रखा जाता है। इस प्रकार एक पुरवा में एक ही सामाजिक वर्ग या जाति के लोगों के आवास मिलते हैं। यद्यपि कुछ बड़े पुरवों में एक से ज्यादा जाति या वर्ग के लोग भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की सामाजिक पृथक्करण मुख्यतः पवित्रता, व्यवसाय, अस्पृश्यता आदि की अवधारणा पर आधारित है। जैसे अध्ययन क्षेत्र में ब्राह्मणवास व पहरावर जैसे गावों में ब्राह्मण जाति के लोगो का आधिपत्य है। और ईस्माइला व गढ़ी साँपला जैसे गाँव जाट बाहुल्य हैं।

सामाजिक विविधता वाले पुंजित ग्राम : बहुत बड़े व सघन गावों में कई जातियों, सम्प्रदाय, वर्ण आदि लोगो के निवास स्थान होते हैं। परंतु उनका निवास अलग-अलग खंडों में धर्म, स्थान, जाति, वंश आदि के अनुसार पाया जाता है। ये सभी जाति से संबंधित गाँव के किसी विशिष्ट भाग में ही रहते हैं। गाँव के बड़े जमींदार, भूस्वामी अथवा उच्च जातियों के लोग सामान्यतः गांव के बीच में या किसी एक हिस्से में रहते हैं। इसी प्रकार कृषक जातियों, विभिन्न शिल्पकार एवं सेवी जातियां भी गांव के अन्य हिस्सों में रहती हैं। भारत में अछूत जातियों के लोगों को अधिकतर गांव के दक्षिणी भाग में बसाने की परंपरा रही है। इनमें गावों के अंदर भी विभिन्न टोले या मुहल्ले बन जाते हैं। उनका नामकरण भी उसमें निवास करने वाले सामाजिक समुदायों के आधार पर किया जाता है। जैसे अध्ययन क्षेत्र में अधिकतर गावों में जाट जाति के लोगों की बहुलता है उनके साथ गाँव में ब्राह्मण जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां व दलित वर्ग के लोगों के आवास भी पाए जाते हैं।

अनियमित ग्राम्य आकारिकी : इसमें वे ग्रामीण अधिवास सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी नियमित या निश्चित सामाजिक संरचना के प्रतिरूप नहीं बन पाते हैं। ऐसे गाँवों में अलग-अलग जाति, व्यवसाय, कुल, धर्म से संबंधित लोग बिना किसी क्रम के बिखरे हुए आवास होते हैं। एक ही जाति या धर्म के लोग गांव के किसी निश्चित भाग में नहीं बल्कि गांव के अन्य भागों में बसे हुए होते हैं। अनियमित आकारिकी वाले गांव भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में मिलते हैं। अध्ययन क्षेत्र में ऐसे गांव कम देखने को मिलते हैं। मनुष्य सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी है उसके बाद वह आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक प्राणी है। अतः ग्रामीण अधिवासों की परिवर्ती दशाओं में सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अर्थात् वह शाश्वत है जीन ब्रून्स के क्रियाशीलता/परिवर्तन के सिंधात के अनुसार पृथ्वी पर सभी वस्तुओं की मात्रा तो घट रही है या स्थिर नहीं है बल्कि अस्थिर है। भूगोल स्थैतिक वस्तुओं के स्थान पर गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करता है। प्रस्तुत अध्याय "ग्रामीण अधिवासों की परिवर्ती सामाजिक दशाएँ" का अध्ययन रोहतक के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिवासों के 143 गाँवों के 5 खण्डों से यादृच्छिक संख्या विधि द्वारा प्रत्येक खण्ड से 2 गाँवों को लिया गया है। इस प्रकार कुल 10 गाँवों के कुल अधिवासों का 10 प्रतिशत परिवारों द्वारा शोधार्थी ने स्वयं प्रेक्षण, गहन साक्षात्कार व प्रश्नावली पर आधारित व्यक्तिगत सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर किया गया है। व्यक्तिगत प्रेक्षण पर आधारित 10 गाँवों के आँकड़े इस प्रकार हैं।

तालिका संख्या 1 : अध्ययन क्षेत्र में चयनित परिवारों की संख्या

चयनित ग्राम	परिवारों की कुल संख्या (2011)	चयनित परिवारों की संख्या	सामान्य जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दलित वर्ग
निडाना	707	70	31	25	20
मुरादपुर टेकना	405	40	18	14	04
जिंदरान	382	38	17	14	07
बुसाना	656	66	30	24	12
किलोई खास	1133	115	50	41	24
शिमली	350	35	16	13	06
गढ़ी साँपला	590	60	27	22	11
कसरैटी	379	38	18	14	08
सुंदरपुर	768	76	34	26	16
ससरौली	192	20	09	07	04
कुल	5562	560	250	200	110

स्रोत: शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए

उपरोक्त आरेख संख्या 1 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के 5 खण्डों के 143 गाँव में से प्रत्येक खण्ड से 2 गाँवों के 10 प्रतिशत आँकड़े स्वयं द्वारा एकत्रित किए गए हैं। ये गाँव इस प्रकार हैं :— निडाना, मुरादपुर टेकना, जिंदरान, बुसाना, किलोई खास, शिमली, गढ़ी साँपला, कसरैटी, सुंदरपुर, ससरौली। इन गाँवों के कुल 5562 परिवार 2011 की जनगणना के अनुसार थे। उनमें से 10 प्रतिशत परिवारों से कुल 560 आँकड़े एकत्रित किए गए हैं जो सभी जाति वर्ग के आँकड़ें तालिका संख्या 1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका संख्या 2.: चयनित गाँवों में परिवार के आकार का प्रतिशत में विवरण

चयनित ग्राम	चयनित परिवारों की संख्या	2001		2023	
		परिवार का आकार		परिवार का आकार	
		संयुक्त परिवार(%)	एकल परिवार (%)	संयुक्त परिवार(%)	एकल परिवार(%)
निडाना	70	49(70%)	21(30%)	14(20%)	56(80%)
मुरादपुर टेकना	40	30(75%)	10(25%)	06(15%)	34(85%)
जिंदरान	38	28(73%)	10(27%)	07(19%)	31(81%)
बुसाना	66	50(76%)	16(24%)	13(20%)	53(80%)
किलोई खास	115	92(80%)	23(20%)	25(22%)	90(78%)
शिमली	35	28(80%)	07(20%)	05(14%)	30(86%)
गढ़ी साँपला	60	48(80%)	12(20%)	06(10%)	54(90%)
कसरैटी	40	30(75%)	10(25%)	06(15%)	34(85%)

सुंदरपुर	76	59(78%)	17(22%)	09(12%)	67(88%)
ससरौली	20	15(75%)	05(25%)	03(15%)	17(85%)
कुल	560	429(78%)	131(23%)	94(17%)	466(83%)

स्रोत: शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए

उपरोक्त तालिका में 2001 के अनुसार लगभग 78 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार के रूप में निवास करते थे जो 2023 में घटकर लगभग 17 प्रतिशत परिवार ही संयुक्त परिवार के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। तथा इसके विपरीत एकल परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। जो 2001 की अपेक्षा 2023 में लगभग 23 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया है। इसका मुख्य कारण नगरीकरण, बढ़ती महँगाई, अच्छा जीवन यापन आदि है।

तालिका संख्या 3 : खण्ड अनुसार परिवार के आकार का प्रतिशत में विवरण खण्ड	चयनित परिवारों की संख्या	2001		2023	
		परिवार का आकार		परिवार का आकार	
		संयुक्त परिवार (%)	एकल परिवार (%)	संयुक्त परिवार (%)	एकल परिवार (%)
महम	110	79(72%)	31(28%)	20(18%)	90(82%)
कलानौर	104	78(75%)	26(25%)	20(19%)	84(81%)
रोहतक	150	120(80%)	30(20%)	30(20%)	120(80%)
साँपला	100	78(78%)	22(22%)	12(12%)	88(88%)
लाखनमाजरा	96	74(77%)	22(23%)	12(13%)	84(87%)
कुल	560	429(78%)	131(23%)	94(17%)	466(83%)

स्रोत: शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए

2001 की अवधि में कृषीय-ग्रामीण विकास व सह परिवार नियोजन के अभाव में रोहतक जिले के गाँवों में भी प्रभाव देखने को मिलता है। तालिका संख्या 3 व तालिका संख्या 3 के अनुसार 2001 में रोहतक खण्ड में 80 प्रतिशत, महम खण्ड में 72 प्रतिशत, कलानौर खण्ड में 75 प्रतिशत, लाखनमाजरा खण्ड में लगभग 77 प्रतिशत व साँपला खण्ड में 78 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। तथा इसी समय में एकल परिवार के रूप में रोहतक खण्ड के 20 प्रतिशत, महम खण्ड के 28 प्रतिशत, कलानौर खण्ड के 25 प्रतिशत, लाखनमाजरा खण्ड के 23 प्रतिशत व साँपला खण्ड में 22 प्रतिशत परिवार एकल परिवार के रूप में रहते थे।

जबकि औद्योगिकरण-नगरीकरण व अच्छी सुविधाएँ, रोजगार की तलाश में प्रवास के कारण परिवार के आकार में बदलाव देखने को मिलता है। 2023 की अवधि में रोहतक खण्ड में 20 प्रतिशत, महम खण्ड में लगभग 18 प्रतिशत, कलानौर खण्ड में लगभग 19 प्रतिशत, लाखनमाजरा खण्ड में लगभग 13 प्रतिशत, साँपला खण्ड में 12 प्रतिशत लोग ही संयुक्त परिवार के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तथा इसके विपरीत एकल परिवार में भी बिल्कुल उलट प्रभाव देखने को मिलता है। रोहतक खण्ड में 80 प्रतिशत,

महम खण्ड में लगभग 82 प्रतिशत, कलानौर खण्ड में लगभग 81 प्रतिशत, लाखनमाजरा खण्ड में लगभग 87 प्रतिशत, साँपला खण्ड में 88 प्रतिशत परिवार एकल परिवार के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं।

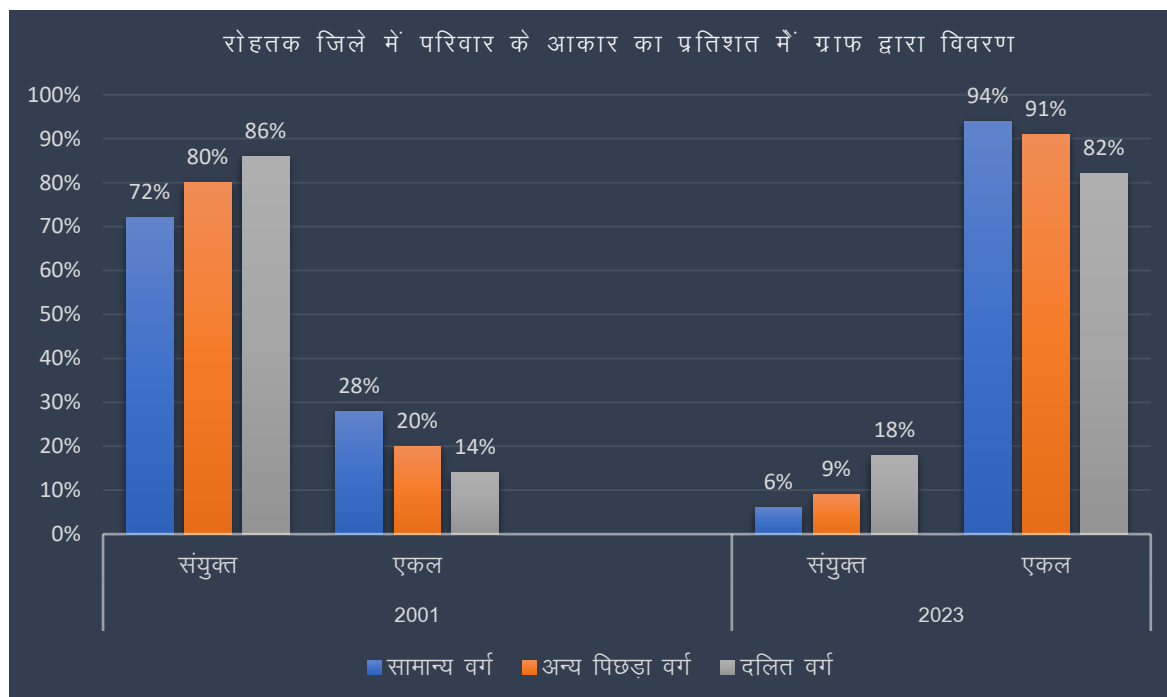
तालिका संख्या 4 : रोहतक जिले में जाति अनुसार परिवार के आकार का प्रतिशत में विवरण

जाति	परिवारों की संख्या	2001		2023	
		परिवार का आकार		परिवार का आकार	
		संयुक्त परिवार (%)	एकल परिवार (%)	संयुक्त परिवार (%)	एकल परिवार (%)
सामान्य वर्ग	250	180(72%)	70(28%)	15(06%)	235(94%)
अन्य पिछड़ा वर्ग	200	160(80%)	40(20%)	18(09%)	182(91%)
दलित वर्ग	110	95(86%)	15(14%)	20(18%)	90(82%)
कुल	560	435(78%)	53(22%)	53(09%)	507(91%)

स्रोत: शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए

उपरोक्त तालिका संख्या 4 के अनुसार 2001 की अवधि में कृषीय-ग्राम्य विकास सह परिवार नियोजन के अभाव में रोहतक जिले के सभी जातिगत समुदाय में संयुक्त परिवार की प्रधानता थी क्योंकि तालिका संख्या 4 के अनुसार 2001 की अवधि में सभी जातिगत समुदाय के लगभग 78 प्रतिशत परिवार; जिसके अन्तर्गत सामान्य जाति के 72 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 84 प्रतिशत तथा दलित जाति के लगभग 86 प्रतिशत परिवार संयुक्त थे एवं सभी जातिगत समुदाय के शेष लगभग 22 प्रतिशत परिवार; जिसके अन्तर्गत सामान्य जाति के 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 प्रतिशत, तथा दलित जाति के लगभग 18 प्रतिशत परिवार एकल/केन्द्रीय थे।

आरेख 1: रोहतक जिले में परिवार के आकार का प्रतिशत में ग्राफ द्वारा विवरण



जबकि औद्योगीकरण-नगरीयकरण एवं परिवार नियोजन (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना आदि) को महत्व दिये जाने से 2023 की अवधि में सभी जातिगत समुदायों में संयुक्त परिवार के घटने (78 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय/नाभिक परिवार के बढ़ने (22 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत) से रोहतक के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के आकार पर आधारित परिवार के प्रकार के सन्दर्भ में नगरान्मुख मिश्रित स्वरूप विकसित हो रहा है क्योंकि 2023 की अवधि में सभी जातिगत समुदायों के लगभग 9 प्रतिशत परिवार; जिसके अन्तर्गत सामान्य जाति के 6 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 प्रतिशत तथा दलित जाति के 18 प्रतिशत परिवार अभी भी संयुक्त है; जबकि सभी जातिगत समुदायों के शेष लगभग 91 प्रतिशत परिवार; जिसके अन्तर्गत सामान्य जाति के 94 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 91 प्रतिशत तथा दलित जाति के 82 प्रतिशत परिवार एकल/केन्द्रीय परिवार हैं। इस आधार पर देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में सभी जातियों में एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है।

आहार व्यवहार

रोहतक के ग्रामीण जिलों में समेकित विकास के लिए उसके निवासियों के स्वास्थ्य की अपरिहार्य आवश्यकता है। जो उनके आहार व्यवहार पर निर्भर करता है क्योंकि जैसा अन्न, वैसा मन होता है। लोगों की बदलती जीवनशैली और बदलती हुई आहार आदतों को दो उपविभागों में रखा जाता है।

परम्परागत आहार आदतें— इसके अन्तर्गत लोगों के द्वारा आहार के रूप में चावल-दाल, रोटी-सब्जी, दूध-मक्खन, मांस-मछली-अण्डा, गुड़-पानी/ मट्ठा आदि को लिया जाता है; जो सामान्यतया उनके द्वारा स्वतः निर्मित खाद्य पदार्थ होने के कारण अधिक पौष्टिक होते हैं।

गैर-परम्परागत आहार आदतें— इसके अन्तर्गत लोगों के द्वारा आहार के रूप में पूड़ी-सब्जी, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, चाउमीन, डोसा, बर्गर, पनीर, समोसा-छोला, नमकीन/बिस्कुट-चाय/कॉफी, शीतल पेय, मादक पेय आदि को लिया जाता है, जो सामान्यतया दूसरे द्वारा प्रसंस्कृत एवं निर्मित खाद्य पदार्थ होने के कारण अपेक्षाकृत न्यून पौष्टिक होते हैं (भारत 2009, पृ 478)।

तालिका संख्या 4.4.1 के अनुसार 2001 में अध्ययन क्षेत्र के गाँवों में आहार व्यवहार के आँकड़ों का प्रतिशत में विवरण दिया गया है। 2001 में लगभग 80 प्रतिशत लोग परंपरागत आहारों को ग्रहण करते थे। जबकि 2023 के समय में यह बढ़कर 80 प्रतिशत से लगभग 31 प्रतिशत लोग ही परंपरागत आहारों का सेवन कर रहे हैं। तथा 2001 की अवधि में गैर परंपरागत आहारों का लगभग 20 प्रतिशत लोग ही सेवन कर रहे थे लेकिन 2023 में यह बढ़कर लगभग 69 प्रतिशत हो गया इसके मुख्य कारण बढ़ती आय व परिवारों की सुधरती हुई अर्थव्यवस्था है।

तालिका संख्या 5 : चयनित गाँवों में आहार व्यवहार का प्रतिशत में विवरण

चयनित ग्राम	चयनित परिवारों की संख्या	2001		2023	
		आहार व्यवहार			
		परंपरागत (%)	गैर परंपरागत (%)	परंपरागत (%)	गैर परंपरागत (%)
निडाना	70	56(80%)	14(20%)	28(40%)	42(60%)
मुरादपुर टेकना	40	36(90%)	04(10%)	14(35%)	26(65%)
जिंदरान	38	30(79%)	08(21%)	07(18%)	31(82%)
बुसाना	66	48(73%)	18(27%)	26(39%)	40(61%)

किलोई खास	115	79(69%)	36(31%)	47(41%)	68(59%)
शिमली	35	31(88%)	04(11%)	11(31%)	24(69%)
गढ़ी साँपला	60	52(87%)	08(13%)	13(22%)	47(78%)
कसरेटी	40	32(80%)	08(20%)	07(17%)	33(83%)
सुंदरपुर	76	67(88%)	09(12%)	21(28%)	55(72%)
ससरौली	20	15(75%)	05(25%)	02(18%)	18(90%)
कुल	560	446(80%)	114(20%)	176(31%)	384(69%)

स्त्रोत: शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए

तालिका संख्या 4 व तालिका संख्या 5 के अनुसार 2001 में महम खण्ड में लगभग 84 प्रतिशत, कलानौर खण्ड में 75 प्रतिशत, रोहतक खण्ड में लगभग 73 प्रतिशत, साँपला खण्ड में 84 प्रतिशत व लाखनमाजरा खण्ड में लगभग 85 प्रतिशत परिवार परंपरागत आहार व्यवहारों जैसे चावल-दाल, रोटी-सब्जी, दूध-मक्खन, मांस-मछली-अण्डा, गुड़-पानी/ मट्ठा आदि का सेवन करते थे। तथा इसी समय में गैर परंपरागत आहार जैसे पूड़ी-सब्जी, केक, पेस्ट्री, चाउमीन, डोसा, बर्गर, पनीर, समोसा-छोला, नमकीन/ बिस्कुट-चाय/ कॉफी, शीतल पेय, मादक पेय आदि महम खण्ड के लगभग 16 प्रतिशत, कलानौर खण्ड के 25 प्रतिशत, रोहतक खण्ड के लगभग 27 प्रतिशत, साँपला खण्ड में 16 प्रतिशत व लाखनमाजरा खण्ड के लगभग 15 प्रतिशत परिवार गैर परंपरागत आहार का सेवन करते थे।

तालिका संख्या 6 : खण्ड अनुसार आहार व्यवहार का प्रतिशत में विवरण

खण्ड	चयनित परिवारों की संख्या	2001		2023	
		आहार व्यवहार			
		परंपरागत (%)	गैर परंपरागत (%)	परंपरागत (%)	गैर परंपरागत (%)
महम	110	92(84%)	18(16%)	42(38%)	68(62%)
कलानौर	104	78(75%)	26(25%)	33(32%)	71(68%)
रोहतक	150	110(73%)	40(27%)	58(39%)	92(61%)
साँपला	100	84(84%)	16(16%)	20(20%)	80(80%)
लाखनमाजरा	96	82(85%)	14(15%)	23(24%)	73(76%)
कुल	560	446(80%)	114(20%)	176(31%)	384(69%)

स्त्रोत: शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए

जबकि बढ़ती आय, परिवारों की सुधरती हुई अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण – नगरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण आहार आदतों में बदलाव देखने को मिलता है। 2023 की अवधि में महम खण्ड में लगभग 38 प्रतिशत, कलानौर खण्ड में लगभग 32 प्रतिशत, रोहतक खण्ड में लगभग 39 प्रतिशत, साँपला खण्ड में 20 प्रतिशत व लाखनमाजरा खण्ड में लगभग 24 प्रतिशत परिवार अब भी परंपरागत आहार आदतों जैसे चावल-दाल, रोटी-सब्जी, दूध-मक्खन, मांस-मछली-अण्डा, गुड़-पानी/ मट्ठा आदि का सेवन करते थे। तथा इसी समय में गैर परंपरागत आहार जैसे पूड़ी-सब्जी, केक, पेस्ट्री, चाउमीन, डोसा, बर्गर, पनीर, समोसा-छोला, नमकीन/ बिस्कुट-चाय/ कॉफी, शीतल पेय, मादक पेय आदि के पक्ष में महम खण्ड के लगभग 62 प्रतिशत, कलानौर खण्ड के लगभग 68 प्रतिशत, रोहतक खण्ड के लगभग 61 प्रतिशत, साँपला

खण्ड में 80 प्रतिशत व लाखनमाजरा खण्ड के लगभग 76 प्रतिशत परिवार गैरपरंपरागत आहार के पक्ष में दिखाई देते हैं।

तालिका संख्या 7 : रोहतक जिले में जाति अनुसार आहार व्यवहार का प्रतिशत में विवरण

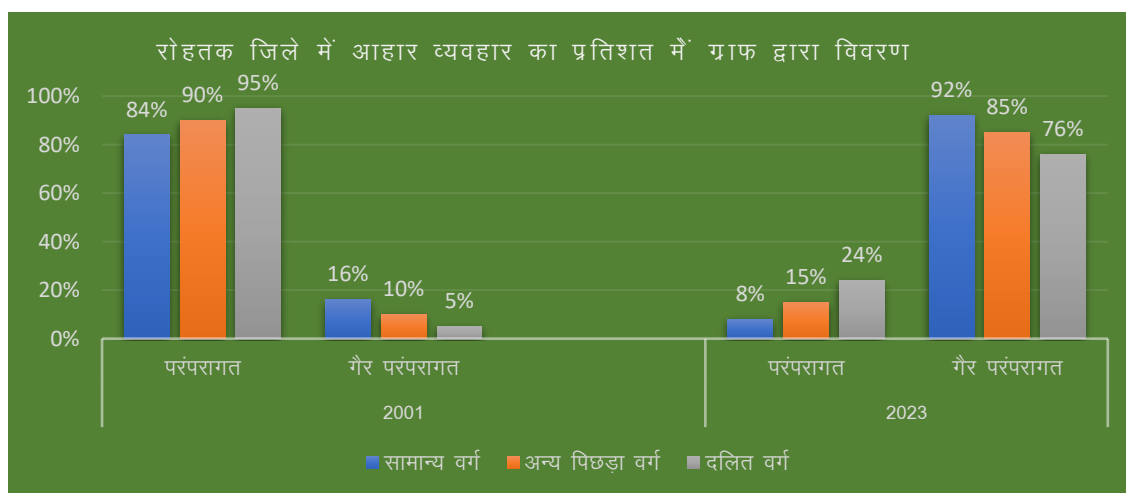
जाति	परिवारों की संख्या	2001		2023	
		आहार व्यवहार			
		परंपरागत (%)	गैर परंपरागत (%)	परंपरागत (%)	गैर परंपरागत (%)
सामान्य वर्ग	250	210(84%)	40(16%)	20(08%)	230(92%)
अन्य पिछड़ा वर्ग	200	180(90%)	20(10%)	30(15%)	170(85%)
दलित वर्ग	110	105(95%)	05(05%)	26(24%)	84(76%)
कुल	560	495(88%)	65(12%)	76(14%)	484(86%)

स्रोत: शोधार्थी के द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए

2001 की अवधि में कृषीय-ग्रामीण विकास को महत्व दिए जाने के कारण तालिका संख्या 7 व आरेख संख्या 4.3 के अनुसार रोहतक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जातिगत समुदाय के लगभग 88 प्रतिशत परिवार, जिसके अन्तर्गत सामान्य जाति के 84 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 90 प्रतिशत तथा दलित जाति के लगभग 95 परिवारों में परम्परागत आहार आदतें जैसे चावल-दाल, रोटी-सब्जी, दूध-मक्खन, मांस-मछली-अण्डा, गुड़-पानी/ मट्ठा आदि का सेवन करते थे। और सभी जातिगत समुदाय के शेष 12 प्रतिशत परिवार, जिसके अन्तर्गत सामान्य जाति के 16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 प्रतिशत तथा दलित जाति के लगभग 5 प्रतिशत परिवारों में गैर-परम्परागत आहार आदतें जैसे पूड़ी-सब्जी, केक, पेस्ट्री, चाउमीन, डोसा, बर्गर, पनीर, समोसा-छोला, नमकीन/बिस्कुट-चाय/कॉफी, शीतल पेय, मादक पेय आदि का सेवन करते थे।

जबकि अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को महत्व दिए जाने से 2023 की अवधि में रोहतक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत आहार आदतों में कमी (88 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत) आ रही है। एवं गैर परंपरागत आहार आदतों की बढ़ती प्रवृत्ति (12 प्रतिशत से बढ़कर 86 प्रतिशत) से आहार आदतों में नगरों का स्वरूप देखने को मिल रहा है।

आरेख 2: रोहतक जिले में आहार व्यवहार का प्रतिशत में ग्राफ द्वारा विवरण



क्योंकि तालिका संख्या 6 व आरेख संख्या 7 के अनुसार 2023 की अवधि में सभी जातिगत समुदाय के लगभग 14 प्रतिशत परिवार; जिसके अन्तर्गत सामान्य जाति के 8 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 प्रतिशत तथा दलित जाति के लगभग 24 परिवारों में परम्परागत आहार आदतें हैं एवं सभी जातिगत समुदाय के शेष लगभग 96 प्रतिशत परिवार; जिसके अन्तर्गत सामान्य जाति के 92 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 85 तथा दलित जाति के लगभग 76 प्रतिशत परिवारों में गैर-परम्परागत आहार के आदतों को प्रमुखता दी जा रही है। इसका मुख्य कारण अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप, बढ़ती आय और लोगों की बदलती हुई जीवनशैली है।

निष्कर्ष:

रोहतक जिले के ग्रामीण अधिवासों की सामाजिक जीवन और आहार व्यवहार पर आधारित इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गत दो दशकों में ग्रामीण समाज में गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली, जो कभी ग्रामीण समाज की मुख्य पहचान थी, अब तेजी से घट रही है और उसकी जगह एकलधनाभिक परिवार प्रणाली ले रही है। वर्ष 2001 में जहाँ 78 प्रतिशत परिवार संयुक्त स्वरूप में रहते थे, वहीं 2023 तक यह संख्या घटकर मात्र 17 प्रतिशत रह गई, जबकि एकल परिवारों की संख्या 22 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो गई। इस बदलाव का प्रमुख कारण नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार, आधुनिक जीवनशैली की चाह, आत्मनिर्भरता की भावना, तथा रोजगार की तलाश में प्रवास है। जातिगत दृष्टि से देखें तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित दृष्टि सभी समुदायों में यह प्रवृत्ति समान रूप से देखने को मिली है। सामाजिक आकारिकी के स्तर पर भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले गाँवों की बसावट जातिगत पृथक्करण के आधार पर होती थी, जहाँ उच्च जातियाँ गाँव के मध्य भाग में और दलित वर्ग गाँव की परिधि या दक्षिणी दिशा में रहते थे। आज भी कई गाँवों में यह परंपरा यथावत है, परंतु कुछ गाँवों में अब विविध जातियों का एक साथ, अनियमित ढंग से बसना भी देखा गया है। यह सामाजिक संरचना में लचीलापन और जातीय भेदभाव में कमी का संकेत देता है।

आहार व्यवहार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। पहले जहाँ लगभग 80 से 88 प्रतिशत ग्रामीण परिवार परंपरागत आहार जैसे रोटी-सब्जी, दाल-चावल, दूध-दही, मांस-मछली आदि का सेवन करते थे, वहीं अब उनकी संख्या घटकर मात्र 14 से 31 प्रतिशत रह गई है। इसके विपरीत, ब्रेड, चाउमीन, समोसे, पेस्ट्री, बर्गर, नमकीन, शीतल पेय और अन्य बाजारू व पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन तेजी से बढ़ा है, जो अब लगभग 69 से 86 प्रतिशत परिवारों में देखा गया। यह बदलाव खासतौर पर युवाओं, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों में अधिक देखा गया है और इसका सीधा संबंध बढ़ती आय, उपभोगवाद और विज्ञापनों के प्रभाव से है। खंडवार और जातिवार विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि यह परिवर्तन केवल एक विशेष क्षेत्र या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र रूप से पूरे रोहतक जिले के ग्रामीण समाज को प्रभावित कर रहा है। यह नगरों के प्रभाव, बढ़ते बाजारीकरण, तथा ग्रामीण जीवन में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं की पहुँच का परिणाम है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रोहतक जिले के ग्रामीण क्षेत्र अब केवल कृषि आधारित पारंपरिक समाज नहीं रहे, बल्कि धीरे-धीरे एक मिश्रित, नगरीकृत और आधुनिक समाज का रूप ले रहे हैं। सामाजिक संबंधों की प्रकृति, परिवार की संरचना, खान-पान की आदतें और जीवनशैली दृष्टि सभी में एक नई दिशा की ओर बदलाव हो रहा है। यद्यपि इससे सामाजिक विविधता और आत्मनिर्भरता बढ़ी है, परंतु इसके साथ-साथ पारंपरिक सामूहिकता, स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली और सांस्कृतिक मूल्यों में कमी आने का खतरा भी बना हुआ है। अतः आवश्यकता है कि इस बदलाव को संतुलित रूप में स्वीकारते हुए सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षित रखा जाए।

सन्दर्भ

1. देसाई, ए. आर. (2016) भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र (5वाँ संस्करण) मुंबई: पॉपुलर प्रकाशन पृ. संख्या 54
2. जोधका, एस. एस. (2002)। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और अस्पृश्यता नई पृ. संख्या 231
3. दिल्ली: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज पृ. संख्या 98
4. गुप्ता, दीपंकर। (2000)। जाति की पड़ताल: भारतीय समाज में पदानुक्रम और भेदभाव की समझ। नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स इंडिया पृ. संख्या 98
5. सिंह, कर्तार (2009) ग्रामीण विकास: सिद्धांत, नीतियाँ और प्रबंधन (3रा संस्करण)। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन पृ. संख्या 74
6. अहमद, ई. (1984). सेटलमेंट इन द यूनाइटेड प्रॉविन्स ऑफ आगरा एंड अवध. अप्रकाशित पीएच. डी. थीसिस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन।
7. एन्टज, आर. बी. (1942). एलिमेंट्स इन द अरबन फिन्च पैटर्न्स. जर्नल ऑफ लैंड एण्ड पब्लिक यूटिलिटी इकॉनॉमिक्स, वॉल्यूम 18।
8. गोपी, के. एन. (1978). प्रोसेस ऑफ अरबन फिन्च डेवलपमेंट: ए मॉडल कॉन्सेप्ट. पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली।
9. गोललेज, आर. (1960). सिडनी मेट्रोपोलिटन फिन्च: ए केस स्टडी ऑफ रुरल अरबन रिलेशन्स. ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी, वॉल्यूम 10।
10. ठाकुर, बी. एस. (1990). अधिवास एवं जनसंख्या भूगोल. किताब घर, कानपुर। पृष्ठ 10।
11. तिवारी, आर. सी. (1999). अधिवास भूगोल. प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद। पृष्ठ 4।
12. नाथुराम, सुदेश. (1976). दिल्ली मेट्रोपोलिटन रिजन्स: ए केस स्टडी इन सेटलमेंट ज्योग्राफी. के. बी. पब्लिकेशन, नई दिल्ली।